


3/7/19

अपीलान्ट उप० नहीं। पेंरीकार सरकार उप०।  
लोक सूचना अधिकारी शंभु उपखण्ड अधिकारी सैपड  
के पत्रांक: सूचना अधि। 19/910 दिनांक 1-5-19 से  
टिप्पणी प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी  
टिप्पणी से अवगत कराया है कि शर्मा अपीलान्ट  
द्वारा प्रस्तुत शर्मा पत्र के संदर्भ में बांछित सूचना  
उनके कार्यालय के पत्रांक 635 दिनांक 15/3/2019  
से शर्मा अपीलान्ट को उनके पते पर भिजवाई जा  
चुकी है। पत्रांक 1238 दिनांक 2-7-19 से यह अवगत  
कराया है कि जोय प्रशासनिक जोय होने के कारण  
नोटसीट नहीं पहचान गई थी इसलिये किंड सू० 2 खप  
में चाही गयी नोटसीट की प्रति दिया जाना संभव नहीं है।

अतः इस प्रकार अपीलान्ट को सूचना, लोक सूचना  
अधिकारी द्वारा भिजवायी जा चुकी है। प्रकरण में आगे  
कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट  
इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना  
अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को  
उपलब्ध कराई जाये। पत्रावली फाइल शुमार होकर  
नम्बर से कम की जाकर बाद तकमोल दारिखत  
दफतर ही आदेश सुनाया गया।

  
[येतन चौधन]  
आतम कलक्टर  
धौनपर